रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2012/वैशाख 28, 1934
No. 222] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2012/VAISAKHA 28, 1934

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

**( आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग )**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2012

**सा.का.नि. 373(अ).**— केन्द्रीय सरकार होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा और धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् : -

1(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (निर्वाचन) दूसरा संशोधन नियम 2012 है ।

(2) ये नियम उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 2 के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) "रिटर्निंग आफिसर" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सिफारिशों पर नियुक्त, यथास्थिति संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की प्रशासनिक सेवाओं में से है :

परंतु संबद्ध बोर्ड का रजिस्ट्रार (चाहे किसी नाम से ज्ञात हो) जो राज्य में व्यवसायियों का रजिस्टर रखता हो, रिर्टनिंग आफिसर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ;" ।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् : -

"(3) उपनियम (2) में यथाउल्लिखित एक मास की नोटिस की समाप्ति के पश्चात्, निर्वाचन नियत तारीख को उपलब्ध रजिस्टर में अभ्यावेशित नामों के अनुसार संचालित किया जाएगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार संबद्ध राज्य बोर्ड जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के खंड 2(ञ) में यथापरिभाषित राज्य के रजिस्टर को रखे जाने के लिए उत्तरदायी है, के रजिस्ट्रार द्वारा रिटर्निंग आफिसर को यथाउपलब्ध कराए गए राज्य रजिस्टर में किसी अनियमितता के विषय में, निर्वाचन से पूर्व या उसके पश्चात् इसे निर्दिष्ट किसी विवाद पर विचार नहीं करेगी" ।"

4. उक्त नियमों के नियम 22 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"(3) विश्वविद्यालयों के संकाय या होम्योपैथी के विभाग (चाहे वे किसी नाम से ज्ञात हों) की सदस्यता से संबंधित मुद्दे संबद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा इसकी उपविधियों और परिनियमों द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे ।"

5. उक्त नियमों के नियम 25 के पश्चात् अंत में निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे अर्थात् : -

"**26. प्रेक्षक**-(1) केन्द्रीय सरकार निर्वाचनों के संचालन को मानीटर करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जा सकें, का पालन करने के लिए किसी प्रेक्षक को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) प्रेक्षक, नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिन को अभिहित स्थान में उपस्थित रहेगा और मतों की संवीक्षा और गणना के लिए नियत दिन को अभिहित स्थान में उपस्थित रहेगा और वह केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

**27. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उठे विवादों की जांच करने के लिए रिटर्निंग आफिसर या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार** -

इन नियम में अंतर्वष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति रिटर्निंग आफिसर या रजिस्ट्रार निर्वाचन प्रक्रिया अर्थात् नामनिर्देशन पत्र की प्राप्ति की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक, के दौरान उठे विवादों का विनिश्चय करेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार इस बात को ध्यान दिए बिना कि रिटर्निंग आफिसर या रजिस्ट्रार के समक्ष उठे वही विवादों का विनिश्चय किया गया है या नहीं, ऐसे सभी मुद्दों का विनिश्चय करेगी यदि उसे नियम 25 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजा जाता है ।

**28. निर्वाचन विवादों से संबंधित प्रक्रिया :-**

(1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विवाद की प्राप्ति के पश्चात् किसी निर्वाचन के संबंध में उस विवाद की जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी को नियुक्त करेगी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा ।

(2) जांच अधिकारी, अपनी नियुक्ति के एक सप्ताह के भीतर विवाद के पक्षकारों को उनसे यह पूछते हुए कि विवाद पर युक्तियुक्त समय के भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके, लिखित में कथन प्रस्तुत करे, यदि कोई है, सुनवाई सूचना भेजेगा और के लिए तारीख भी नियत करेगा ।

(3) कथन के प्रस्तुत किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट समाप्ति के पश्चात् जांच अधिकारी ऐसी तारीख और ऐसे समय पर तथा ऐसे स्थान पर विवाद की सुनवाई करेगा जिसे इस बात को ध्यान दिए बिना विनिर्दिष्ट किया गया है कि लिखित कथन प्राप्त हुआ है या नहीं और पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(4) विवाद के सभी पक्षकारों को केवल व्यक्तिगत रूप में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने का अधिकार होगा ।

(5) विवाद से संबंधित पक्षकारों की अनुपस्थिति पहले ही से नियत तारीख को सुनवाई के लि मुल्तवी होने का आधार नहीं होगा और सुनवाई एक पक्षीय अग्रसर रहेगी जब तक कि अनुपस्थिति की परिस्थितियां पक्षकारों के नियंत्रण के परे न हों ।

(6) जांच की किसी अवस्था के दौरान, जांच अधिकारी को ऐसे अन्य दस्तावेज और व्यक्तियों की परीक्षा करने का अधिकार होगा जो उसके द्वारा जांच के संचालन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

(7) सभी संबद्ध पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात्, जांच अधिकारी अपनी नियुक्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर एक जांच रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को उसके विचार और विनिश्चय के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(8) केन्द्रीय सरकार, जांच अधिकारी द्वारा यथारूप से प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर विनिश्चय करने का प्रयास करेगी और विवाद पर अपने विनिश्चय को जांच रिपोर्ट की प्राप्त के तीस दिन के भीतर संसूचित करेगी ।

**29. निर्वाचन पत्रों की मुहरबंदी और अभिरक्षा** - "गणना के पूरा होने पर और उसके द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात्, रजिस्ट्रार मतपत्रों और निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों को मुहरबंद करेगा और छह मास की अवधि के लिए उसे प्रतिधारित करेगा और वह केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना छह मास के पश्चात भी अभिलेखों को न तो नष्ट करेगा और न ही नष्ट कराएगा ।"

[फा. सं. जेड-28016/01/2012-एचपीसी]

बाला प्रसाद, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्यांक 611, तारीख 5 मई, 1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. निम्नलिखित संख्यांकों द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात् :-

(i) का. आ. 725 तारीख 11 मार्च, 1978.

(ii) सा.का.नि. 576 (अ) तारीख 29 सितंबर, 1982.

(iii) सा.का.नि. 279 (अ) तारीख 2 अप्रैल, 2012.

---

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## (Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2012

**G.S.R. 373(E).**— In exercise of the powers conferred by sub- section (1) *of* section 4 and sub-section (1) of section 32 of the Homoeopathy Central Council Act,1973 (59 of 1973), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Homoeopathy Central Council (Election) Rules, 1975, namely :-

1. (1) These rules may be called the Homoeopathy Central Council (Election) *Second* Amendment Rules, 2012

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Homoeopathic Central Council (Election) Rules, 1975 (hereinafter referred to as the said rules), for clause (d) of rule 2, the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) Returning Officer' means any officer of the State Government or the Union territory as the case may be who is from the administrative services of the State Government or the Union territory, not below the rank of a Joint Secretary to the State Government or the Union territory concerned appointed on the recommendations of the State Government or the Union territory as such by the Central Government for the purposes of these rules:

provided that Registrar of the concerned Board, by whatever name called who maintains the register of practitioners in the State shall not be appointed as the Returning Officers;"

3. In the said rules, in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted namely:-

"(3) After expiry of one month's notice, as mentioned in sub-rule (2), the elections shall be conducted as per the names enrolled in the register available as on date:

Provided that the Central Government shall not entertain any dispute referred to it, before or after the elections, with regard to any irregularities in the State register as made available to the Returning Officer by the Registrar of the concerned State Board who is responsible for maintaining the State Register as defined in clause 2(i) of the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

4. In the said rules, in rule 22, after sub- rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) The issues relating to the eligibility of the member of the faculty or Department ( by whatever name called), of Homoeopathy of the Universities shall be decided by the University concerned as per its by-laws and Statutes.";

5. In the said rules, after rule 25, the following rules shall be added at the end, namely:-

"**26. Observer** – (1) The Central Government *shall* nominate an observer to monitor the conduct of election and to perform such other functions as may be entrusted to him by the Central Government.

(2) The Observer shall be present at the designated venue on the day fixed for scrutiny of nomination papers and shall also be present at the designated venue on the day fixed for scrutiny and counting of votes and shall submit his report to the Central Government.

1778 GI/12-2

**27. Returning officer *or* Registrar of University to inquire into disputes raised during election process –**

Notwithstanding anything contained in the rules, the Returning officer *or the* Registrar, *as the case may be,* shall decide into the disputes raised during the election process i.e. from date of receipt of the nomination papers till the date of declaration of result:

Provided that the Central Government shall decide all such issues if referred to it within the time period specified in rule 25, irrespective of whether or not the same disputes raised before the Returning Officer or the Registrar has been decided or not.

**28.** Procedure for dealing with election disputes

*(1)* The Central Government, after receipt of dispute under sub-section (2) of section 4 of the Act regarding any election, shall appoint an Inquiry officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India to inquire into that dispute.

*(2)* The Inquiry officer within one week of his appointment shall send notice of hearing to the parties to the dispute asking them to submit statements in writing, if any, on the dispute within reasonable time as may be specified by him and shall also fix the date of hearing.

*(3)* After the expiry of the time specified for submission of statements, the Inquiry officer shall hear the dispute on such date and at such time and place as has been specified irrespective of whether written statement have been received or not and shall give reasonable opportunity to the parties to hear.

*(4)* All parties to the dispute shall have the right to appear before the Inquiry officer, only in person.

*(5)* Non-appearance of the parties to the dispute shall not be a ground for postponement of hearing on the date already fixed and the hearing shall proceed ex- parte until circumstances of non-appearance are beyond the control of the parties.

*(6)* During any stage of inquiry, the Inquiry officer shall have the right to examine such other documents and persons as deemed necessary by him for conduct of inquiry.

*(7)* After hearing all the concerned parties, the Inquiry officer shall prepare an inquiry report within a period of sixty days of his appointment and submit it to the Central Government for its consideration and decision.

*(8)* The Central Government shall endeavor to take a decision on the Inquiry report as submitted by the Inquiry officer and communicate its decision on a dispute within thirty days of receipt of the Inquiry report.

**29. Sealing and custody of election papers:-** "Upon the completion of the counting and after the result has been declared by him, the Registrar shall seal up the voting papers and all other documents relating to the election and shall retain the same for a period of six months and he shall not destroy or cause to be destroyed the records even after six months without the previous concurrence of the Central Government;".

[F. No. Z-28016/01/2012-HPC]
BALA PRASAD, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 611 dated the 5th May 1975 and subsequently amended vide numbers, namely:-

(i) S.O. 725 dated 11th March, 1978;
(ii) G.S.R. 576 (E) dated 29th September,1982; and
(iii) G.S.R. 279 (E) dated 2nd April,2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.